

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Section A'

"क्या हम वि-वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं?"

हाल ही के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों ने चीन के करीब \$200 बिलियन के उत्पादों पर आयात शुल्क को 25% तक बढ़ा दिया गया था वहीं दूसरी तरफ चीन द्वारा भी प्रायुक्त में \$100 बिलियन से अधिक अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार हाल ही में अर्द्ध COVID-19 वैश्विक महामारी से अंतर्राष्ट्रीय पारगमन व परिवहन पर प्रतिकेध भी यह आश्चर्य जनता है कि क्या हम वि-वैश्वीकरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं?

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस निबंध में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वि-वैश्वीकरण

की अवधारणा क्या है? यह किस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विपरीत है? क्या वर्तमान में ऐसी संभावना दिखती है कि वि-वैश्वीकरण युग की शुरुआत हो सकती है? वि-वैश्वीकरण निम्न-निम्न चिंतनों को जन्म देगा, इसके क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा मनोवैज्ञानिक एवं वैवाहिक प्रभाव होंगे? क्या इसमें लाभ के निहितार्थ भी हैं तथा इस हेतु हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रासंगिकता को भी चर्चा करेंगे।

वि-वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, (एक देश का दूसरे देशों के साथ) अंतर्निर्भरता जैसे गुणों का अनुपात्य होना है। हालांकि पूर्ण रूप से वि-वैश्वीकरण का सिद्धांत वर्तमान परिदृश्य में गैर-प्रासंगिक है। इसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक कदम जैसे- अत्यांत प्रतिबंध, सामाजिक कदम जैसे- आप्रवासन पर प्रतिबंध, राजनीतिक

कदम जैसे - परस्पर साक्षात् पूर्ण संस्था का अभाव, सांस्कृतिक कदम जैसे - परिष्कृत पर लोक शोभाके शामिल हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो प्राचीन भारत अधिकतर आत्मनिर्भर था, परन्तु वैश्वीकरण के साथ व्यापार क्रिया - ग्रीक - रोमन, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने चरम स्तर था। जैसे - मुजिरिस, मुसलीपरन्नम् जैसे चीट्ट इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

हालांकि आधुनिक विश्व में औद्योगिकीकरण के पश्चात् वैश्वीकरण के आधुनिक स्वरूप ने नई पहचान बनाई जिसमें नागरिकों का अंतर्प्रचलन तथा उन्मासन एक नई अवधारणा थी। साम्राज्यवादी पूँजीवाद ने इसकी श्रिता तथा आवृत्ति दोनों में वृद्धि की।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आर्थिक वैश्वीकरण की शुरुआत को प्रत्यक्ष रूप से 1991 के आर्थिक सुधारों में भी देखा जा सकता है।

इस संदर्भ में वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में वि-वैश्वीकरण की शुरुआत के मुख्य उदाहरण निम्न हैं - विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों के प्रति संरक्षणवादी प्रवृत्ति को अपनाना। जैसे - अमेरिका - चीन ट्रेड वार, अमेरिका की NAFTA प्रणाली को अधिक कठोर बनाना, युरोप द्वारा भारतीय उत्पादों पर NTB (नॉन-टैरिफ बैरियर्स) आरोपित करना, इस्लामीकीयता तथा इस्लामिक कहरवाद एवं अन्ध आतंकवाद।

उपरोक्त उदाहरणों के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ वि-वैश्वीकरण युग में प्रवेश की ओर संकेतन को दर्शाती हैं। जैसे - हाल ही में कतर द्वारा भारतीय डाटास्पॉस के रूप में आप्रवासियों की संख्या को सीमित करने हेतु विधिक आधिनियम पारित करना हो या परेशा रूप से अमेरिका द्वारा

अफगानिस्तान से अपने बलों की वापसी है।

हाल में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने इस चिंता को और अधिक गहरा कर दिया है कि क्या हम वि-वैश्वीकरण की ओर तो कदम नहीं रख रहे हैं। जैसे- लगभग सभी देशों द्वारा विदेशी नागरिकों के आगमन पर प्रतिबंध, सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर रोक इत्यादि।

इस प्रकार विभिन्न आपदाओं खासकर जैविक (जैसे COVID-19) के प्रति सभी देशों (विकसित एवं विकासशील) की सुभेद्यता को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न वैश्विक प्रतिबंधों के कारण हम वि-वैश्वीकरण की ओर कदम रख सकते हैं।

हालांकि वि-वैश्वीकरण वर्तमान युग में संभावनाओं को कम तथा चुनौतियों को अधिक जन्म देगा। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निम्न प्रकार की

दुनोतिथी विद्यमान है -

आर्थिक आयात के रूप में वि-
वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नकारात्मक
रूप से प्रभावित करेगा। वैश्विक GDP
(सकल घरेलू उत्पाद) के कमी, आयात व
निर्यात में कमी, रोजगार हानि, तकनीकी
तथा नवान्धारों के प्रसार एवं अनुसंधान
एवं विकास में कमी, प्रति व्यक्ति निम्न
आय, निश्चिन्ता आदि को जन्म देगी।

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वि -

वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को
प्रभावित करेगा जिससे सामाजिक संपर्कता
में कमी आयेगी, फलस्वरूप सामाजिक
संबंधों में आर्थिक अनिश्चितता उत्पन्न होगी
क्योंकि वैश्वीकरण से वि-वैश्वीकरण
की प्रक्रिया संघर्ष को जन्म दे सकती
है। जैसे - भारत के संदर्भ में
वि-वैश्वीकरण आसियान देशों के
साथ सामाजिक कनेक्टिविटी को प्रभावित
करेगा।

राजनीतिक स्तर से वि-वैश्वीकरण

भू-राजनीति को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष व युद्धों की संभावना बढ़ेगी एवं न्युक्लियर युग में अज्ञात एवं आक्रोश एवं अराजकता को जन्म दे सकता है।

पर्यावरणीय स्तर पर वि-वैश्वीकरण

के सर्वाधिक दुस्प्रभाव होंगे। यह कार्बन उत्सर्जन की सभी वारंवारियों को समाप्त कर सकता है। जैसे - UNFCCC के अंतर्गत पेरिस समझौता, ओजोन क्षरण अवनमन हेतु मोंट्रियल प्रोटोकॉल जिसे सर्वाधिक सफल समझौता माना जाता है, इत्यादि के समापन से वैश्विक स्तर पर CO₂ उत्सर्जन और अधिक होगा। जैसा कि IPCC ने अपनी रिपोर्ट में बताया - 2100 वीं सदी तक 2-66% तक पर्माफ्रॉस्ट एवं ग्लेशियर्स की समाप्ति; प्रति वर्ष 9 mm

यह अधिक समुद्री जल स्तर में हुई, 3-4 °C वार्षिक औसत तापमान में हुई शर्थात्, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावास हानि, जैव-विविधता हानि, प्रवाल विरंजन, अम्लीकरण जैसी चिंताएं और अधिक बढ़ती जो अंततः मनुष्य स्वयं को अस्तित्वहीन बना सकती हैं।

मनोवैज्ञानिक रूप से वि-वैकलीकरण मानसिक पीड़ा, अवसाद, भय (युद्ध के कारण), सदृभावहीन भावना शर्थात् को जन्म देगा जिससे व्यक्ति को IEQ के साथ EQ (इमोशनल इंटेलिजेंस) क्षमता का कारण हो सकता है।

इस प्रकार वि-वैकलीकरण अनेक प्रकार की चुनौतियों को जन्म दे सकता है परन्तु इसके कुछ लाभ भी हैं -

→ जैसे - अगर वि-वैकलीकरण की प्रक्रिया अधिक सक्षम होती तो

COVVID-19 का संक्रमण वैश्विक स्तर पर नहीं फैल पाता एवं वि-वैश्वीकरण एक समय बिलंबन प्रक्रिया होने के कारण आपदा पूर्व चरण के दौरान नैचारी, अनुश्रिया, शासन आदि हेतु प्रणाली कादम उठाने की सूचना प्राप्त हो पाती।
→ वि-वैश्वीकरण राष्ट्रवाद की आधुनिक प्रक्रिया को भी जन्म दे सकता है। जैसे - द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इस प्रवृत्ति को देखा गया था।

वि-वैश्वीकरण की और कादम रखने के अन्य कारणों पर चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की अदृष्टता व अदूरदर्शिता का महत्वपूर्ण स्थान है।

जैसे - WTO (विश्व व्यापार संगठन) द्वारा पत्रपातपूर्ण निर्णय तथा वैश्विक विकास देशों की प्रभाविता के कारण संरक्षणवाद को रोकने में असफलता

UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) का असंतुलन प्रतिनिधित्व जैसे - इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत परिस्थितिरूप प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया जबकि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है, आतंकवाद पर प्रभावी असहमति के कारण अंतर्राष्ट्रीय अभिसमग्र का न होना, पर्यावरणीय प्रतिबद्धता से पार्श्वेमी देशों का पीछे घटना इत्यादि। हाल ही में WHO (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के राजनीतिकरण से भी चिंता को और अधिक बढ़ाया है।

इन सभी चिंताओं के जलन अध्ययन से यह तो बात है कि वि - वैश्वीकरण वैश्विक संघारणीयता, अशांति, अस्थिरता, असंतुलन, युद्धों की प्रवृत्ति बढ़ना इत्यादि को जन्म देगी।

अतः वि - वैश्वीकरण को और बढ़ावा न देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर

पर बहुपक्षवाद (मल्टीपार्टी सिस्टम), वैश्विक
संस्थानों तथा - WTO, UNSC, WHO इत्यादि
में पक्षपात रहित न्याय - निर्णय एवं
प्रतिनिधित्व, संघारणीय विकास लक्ष्यों
(SDGs) की प्राप्ति आदि हेतु सभी
राजनीतिक सरकारों को प्रयास करना
चाहिए। एक वैश्विक संस्था का
निर्माण करना चाहिए जो वर्तमान
प्रासंगिकता के अनुरूप हो, जिससे
वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता, सर्वधर्म
सद्भाव, सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक
न्याय सुनिश्चित हो सके।

मिखी ने ठीक कहा है -

जीन कहता है आसमान में सुरज नहीं
होता।

एक पक्षर तो ज़रा नीचत से उधालों
धरों ॥

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

(Section B)

" 21 वीं सदी में जल प्रबंधन की चुनौतियाँ "

करीब दो दशक पूर्व दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में अत्यधिक जल संकट ने वहाँ सभी वर्गों को समीर हो या गरीब, को पियजल हेतु भी आपूर्ति न होने के कारण अत्यधिक आतुरता को जन्म दिया तो वहीं दूसरी तरफ भारत के झार महल की बात करें तो जल महत्व एवं प्रबंधन की आवश्यकता स्वतः ही समझ आ जाती है।

नीति आयोग द्वारा CWMR (कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक) 2019 के तहत 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति 1000 l^3 से भी कम प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता होगी एवं वर्तमान में ग्रामीण भारत में जहाँ करीब 70% जनसंख्या निवास करती है, के

VISION IAS™

Don't write
anything in this
margin
(एक शब्द भी
लिखें नहीं)

75% से अधिक क्षेत्रों के परिसर में पेयजल का अभाव है। केंद्रीय भू-जल आयोग (CWC) के अनुसार दो तिहाई से अधिक क्षेत्रों में भूजल स्तर जैसात से अधिक गिर गया है। एवं CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार 215 से अधिक नदियाँ भी प्रदूषित हो चुकी हैं।

उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि 21वीं सदी में जल की उपलब्धता क्या है, तथा इसका क्या महत्व है।

अब हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक जल प्रबंधन क्या है? इसका क्या महत्व है, यह किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, इसके क्या-क्या आयाम हैं, विभिन्न जल प्रबंधन हेतु क्या-क्या पारंपरिक तथा आधुनिक दृष्टिकोण हैं, इसके समक्ष क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों का क्या कोई आर्थिक, राजनीतिक

सामाजिक एवं पर्यावरणीय आधार हैं,
ग्रह क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी
अंतर्राष्ट्रीय प्राप्ति, लोगों को यह का
अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

जल प्रबंधन का तात्पर्य

जल के दक्षतापूर्वक, कुशलतापूर्वक
उपयोग करने से है, जहाँ अपल्प न
है तथा संशयार्थी जल उपलब्धता
निरंतर बनी रहे। वर्तमान उपयोग के
अतिरिक्त भावी पीढ़ियों हेतु जल
उपलब्धता सुनिश्चित करना संशयार्थी
जल प्रबंधन कहलाता है।

—पूरे जलीय चक्र द्वारा
जल की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है
लेकिन मानव-जनित जलवायु परिवर्तन

के कारण चरम मौसमी लक्षितियां ने
सुखा एवं बाढ़ जैसी घटनाओं की
आधुनिक एवं तीव्रता को अत्यधिक बढ़ा
दिया है। हम जानते हैं कि कुल
वैश्विक उपलब्ध जल का मात्र 3% से

कम ही स्वरूप जल है, इसका जी
वै-तंत्र से अधिक ग्लेशियर के
रूप में जमा है। भारत के संदर्भ
में बात करें तो कुल उपलब्ध जल
का करीब 80% से अधिक उपयोग
केवल कृषि कार्य हेतु होता है। अतः
उपरोक्त प्रणिति को देखते हुए 21वीं
सदी में जल प्रबंधन अति आवश्यक
हो गया है। किसी ने हीक कहा
है कि "जल है तो कल है"।

हालांकि जीवन के आधार के
रूप में जल को जीवन संचा दी
जाने है परन्तु वर्तमान में जल
प्रबंधन एक प्रमुख वैश्विक, राष्ट्रीय
एवं क्षेत्रीय चुनौती बनी हुई है।
वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन संबंधित
चुनौती में निम्न तत्व शामिल हैं -

• पार देशीय नदी प्रणालियों
में अत्यंत तेज गति के विकास का
गैर-तकिकीपूर्ण जल का उपयोग।

जैसे - चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी संबंधित
डाटा न देना या विलंबन करना,
मेकांग नदी में पर्यावरणीय प्रवाह
(e-प्रवाह) अनिश्चितता को बढ़ाना।

- परस्पर सामंजस्य एवं समन्वय
का अभाव है जिसके फलस्वरूप जल
प्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है।
जैसे हाल ही में इथियोपिया तथा
सुडान के बीच बांध निर्माण एवं
जल विद्युत परियोजना संबंधी चिंतने।

- प्रभावी जल प्रबंधन अनिसमग्र
का न होना। उदाहरण के तौर पर
अजोबन कारण रोमने हेतु मोन्टेअल
प्रोटोकॉल सर्वाधिक सफल रहा है, इसी
तर्ज पर जल प्रबंधन अनिसमग्र का
न होना जो बाह्यकारी है।

राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन चुनौतियाँ

के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयाम
सामिलित हैं।

सामाजिक रूप से जल को

हैमेटा एक सार्वजनिक वस्तु (पार्लिक गुड) माना गया है एवं जल को एक नैसृगिक अधिकार माना गया है। अतः निम्न सामाजिक जागरूकता एवं शिक्षा जल अपव्यय को बढ़ाता है।

आर्थिक रूप से प्रमुख चुनौती जल प्रबंधन में आने वाली लागत से है। भारत जैसे विकासशील देश जिनके पास सीमित संसाधन हैं एवं निर्धनता का उच्च स्तर है, के लिए जल प्रबंधन पर उच्च निवेश व तकनीकी विशेषता प्राप्त करना जरूरी है।

राजनीतिक रूप से प्रमुख चुनौतियाँ राजनीतिक उदासीनता है। कुछ संघीय मुद्दे (भारत के संदर्भ में) जैसे - जल राज्य सूची का विषय है, परन्तु नदी विवादों के समाधान हेतु विधि का निर्माण संसद द्वारा अनुच्छेद 262

के तहत किया जाता है।

अंतर्राज्यीय विवाद जैसे -

कावेरी जल विवाद, (तमिलनाडु, कर्नाटक,
पुडुचेरी) रावी नदी जल विवाद,

नर्मदा नदी जल विवाद (गुजरात, राजस्थान,
मध्यप्रदेश) आदि के कारण अंतर्राज्यीय

स्तर पर जल प्रबंधन हेतु समन्वय
एवं प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं।

सांस्कृतिक स्तर से चुनौतियाँ

बिना है- विभिन्न नदी प्रणालियों जैसे-

गंगा नदी में स्नान करने एवं पदार्थों
का उत्सर्जन आदि से पारिस्थितिकी प्रणाली
के कारण भी जल प्रबंधन समस्या
उत्पन्न हो जाती है।

इसके अतिरिक्त व्यवहारगत
बदलाव की कमी, औद्योगिक एवं शहरी
अपशिष्ट इत्यादि जल प्रबंधन के स्तर
में प्रमुख चुनौती के रूप में विद्यमान
हैं।

इन सभी जल प्रबंधन संबंधित
चुनौतियों के समाधान हेतु कई विभिन्न

VISION IAS™

तकनीकी की विद्यमान है जो 21वीं सदी की जल प्रबंधन संबंधी समस्याओं के निपटारे हेतु सहायक है।

जैसे- कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन, नाला एवं कचरापूर्वक उपयोग हेतु स्प्रिंगलर प्रणाली, फवारा पद्धति, बूंद - बूंद सिंचाई पद्धति व जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ। औद्योगिक क्षेत्रों में ताप-विद्युत संयंत्रों हेतु हाटलूक का उपयोग ताकि जलीय-तापीय प्रदूषण नियंत्रित हो।

इस संदर्भ में जल प्रबंधन महत्त्व बढ़ने हेतु वैश्वीय स्तर पर निम्न प्रयास किए गए हैं-

सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आघेगारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCAP), आर्थिक एवं सामाजिक आघेगारों हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESR), IPCC (इन्टरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) की रिपोर्ट के आधार पर जल

प्रबंधन को UNFCCC के अंतर्गत शामिल करना आदि।

भारत सरकार द्वारा जल प्रबंधन हेतु निम्न प्रयास किए गए हैं :-

जल जीवन मिशन जिसके द्वारा प्राथमिक ग्रामीण परिवार को 2024 तक जल से जल की आपूर्ति, कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) द्वारा यांत्रिक उपकरणों पर जूट जो मृदा में निष्कालन काम करने एवं जल दबाता बढ़ाने हेतु सहायक है, PMKSY (प्रधानमंत्री पारंपरिक कृषि सिंचाई योजना), प्रतिबद्ध आसीन उपज, अटल भू जल योजना, शहरी नगरपालिका अपधीष्ट का जु-वाटर में पुनर्चक्रण हेतु योजना, एमार्ट सिटी मिशन, PM-KUSUM जैसी अन्य योजनाएँ हैं जो प्रायः या पर्याप्त रूप से जल प्रबंधन को बढ़ाता है। इस संबंध में राजस्थान राज्य की जल स्वावलंबी योजना मोडल के रूप में भी विख्यात है।

निरूपित। कहा जा सकता है कि जल संधारणीयता, कुशलता, दृढ़ता सहित प्रबंधन वर्तमान 21वीं सदी की आवश्यकताओं में से प्रमुख हैं। जल प्रबंधन सामाजिक समरसता तथा स्थायित्व को बढ़ाता है जिससे आर्थिक स्तर पर भी जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जल प्रबंधन संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) की समग्र प्राप्ति जैसे- स्वच्छ जल, भूमि के नीचे (समुद्र के अन्दर जैव-विविधता संरक्षण), जमीन पर पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे SDGs हेतु आवश्यक एवं अपरिहार्य हैं।

इस संबंध में भारत अपने वर्चुअल जल व्यापार (इसमें उत्पाद निर्माण में प्रयुक्त जल) को युक्सिसेगत कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) में जल शिक्षा अनिवार्य बनाकर एवं प्रभावी जल प्रबंधन तकनीकों में निवेश बढ़ाकर, R&D (अनुसंधान एवं विकास)

व्याय बढ़ाकर, जागरूकता इत्यादि द्वारा सामाजिक बदलाव जो व्यवहारत्मक है जल प्रबंधन को अधिक विस्तारित कर सकता है। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन द्वारा ODF (ग्रामों में शौच सुबत्) के लिए सामाजिक व्यवहार में बदलाव की ओर प्रयास हुआ, उसी तरह जल अपव्यय कम करना एवं जल प्रबंधन लक्ष्यों से संबंधित संदेश प्रचारों एवं जागरूकता द्वारा जल प्रबंधन मिशन एक सहायनीय बदल हो सकता है।

VISION IAS™

For more information
visit us at
www.visionias.in

VISION 17

B → 21वीं स्त्री में जल प्रबंधन की पुनर्निर्माण

जल प्रबंधन में जल का सही उपयोग करना और जल संचयन को बढ़ावा देना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

M. जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।


जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

जल जीवन शैली, जल संचयन योजना, जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।
 PM पाठ्यक्रम के अंतर्गत जल संचयन के लिए लोगों को प्रेरित करना।

VISION IAS™

Don't write
anything this
margin
(एक सप्ताह में
एक बार लिखें)



Handwritten mark or signature.

